श्रमदान : शाहपुरा, (नि.सं.)। जल संरक्षण व हरित पर्यावरण के तहत पिवणिया तालाब शाहपुरा पर श्रमदान कर घाटों की साफ-सफाई की गई। आयुक्त रिंकल गुप्ता ने जानकारी दी।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई–निविदा सूचना

No. EL/50/01/2025-26 RT Dt. 4.06.2025

उप. मुख्य बिजली इंजी. (कारखाना), उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की और से निचे दिए गए कार्य के लिए दी गयी तिथि को 15.00 बजे तक ई – निविदा आमंत्रित की जाती है। **1. निविदा संख्या :** EL/50/01/2025-26 RT **2. कार्य का नाम व स्थान :** Ajmer - Construction of new wards along with other infrastructure of the depot including IT, complete Electrification and heavy duty stacking system rake, pallets, Electric stacker & epoxy flooring etc. in view of shifting of Existing ward of wagon stores depot to old pattern shop. **3. अनुमानित लागत :** Rs. 1516562.95 **4. बयाना राशि :** Rs. 30300/- **5. ई – निविदा बन्द होने की तिथि एवं समय :** 20.06.2025 at 15-00 Hrs. **एवं ई – निविदा खोलने की तारीख एवं समय :** 20.06.2025 at 15-30 Hrs. **6. वेबसाइट का ब्यौरा, जहां से ई – निविदा कि पूर्ण जानकारी प्राप्त कि जा सकती है:** www.ireps.gov.in

648-CR/25

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

अवैध माइनिंग कार्य जोरों पर

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। पुर सहित क्षेत्र में पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की अवैध तरीके से रसीद काटने व अवैध माइनिंग का कार्य जोरों पर है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खदान हकीकत में एक मात्र समोड़ी में है जबकि इस क्षेत्र में 20 अधिक जगह अवैध खदानों का संचालन हो रहा है।

अवैध माइनिंग के चलते बुधवार को बागोर में दो श्रमिकों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से इन अवैध माइनिंग और अवैध नाकों को बंद कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वैध माइनिंग होने पर 39 रुपए टन यानी कुल 120रुपए की रॉयल्टी सरकारी दर पर काटी जा सकती है वह भी अंडरलोड 2.50 टन तक ही। यानी ट्रैक्टर ओवरलोड हो तो ठेकेदार को ओवरलोड की रॉयल्टी काटने का अधिकार नहीं है।

यहां तक कि नियम के अनुसार रॉयल्टी कमर्शियल ट्रैक्टर की ही काटी जा सकती है या फिर लीज होल्डर की ही रॉयल्टी काटे जाने का अधिकार ठेकेदार को होता है।

जानकारी के तौर पर इन नियमों की अनदेखी करके अवैध माइनिंग के साथ ही अवैध नाके लगाकर दोगुनी कमाई की जा रही है।

भीलवाड़ा शहर, रायपुर के साथ ही हमीरगढ़ क्षेत्र जिनमें लीज सिर्फ सहाड़ा में एक, समोडी में दो और मंगरोप में एक लीज है।

समोडी और पुर क्षेत्र में अवैध 20 से ज्यादा खानों का संचालन हो रहा है। इतनी ही अवैध खानें बनेड़ा क्षेत्र में संचालित हो रही है।

ठेकेदार द्वारा ओवरलोड कृषि कार्य में काम आने वाले ट्रैक्टरों के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है।

सुनील कुमार सनाढ्य, अतिरिक्त माइनिंग अधिकारी, भीलवाड़ा के अनुसार पुर क्षेत्र में अवैध खनन की जानकारी मिली, मामले में दस्तावेजों की जांच कर मौका मुआयना किया जाएगा। अवैध खनन या अवैध रॉयल्टी लेते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

पुष्पा कसौटियां, थाना प्रभारी, पुर का कहना है कि पुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन की की शिकायत नहीं मिली है। समोडी में लीज होल्डर की खान से यदि अवैध खनन के तार जुड़े हैं तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पुर में मेरी जानकारी में तो कोई नाका संचालित नहीं है।

महंताई चादर विधि कार्यक्रम आज

पुष्कर, (निसं)। पुष्कर बजरंग कॉलोनी स्थित सदगुरु भक्तमाल आश्रम पश्चिम मुखी हनुमान मंदिर के ब्रम्हलीन महंत शिवदास जी महाराज का कल सत्रहवीं रस्म का भंडारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय चतु: संप्रदाय के अध्यक्ष हनुमान दास महाराज एवं श्री रामसखा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर नंदराम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले भंडारे एवं महंताई चादर विधि कार्यक्रम ने पुष्कर अजमेर वैष्णव विरक्त मंडल के सैकड़ो महंत , षडदर्शन साधु समाज पुष्कर के संत महात्मा , भक्तमाल अष्टम से जुड़े सैकड़ों शिष्यों सहित पुष्कर के कई लोग शामिल होंगे।

महेरिया सचिव, टेलर कोषाध्यक्ष बने

मेड़ता सिटी, (निसं)। नव निर्वाचित अध्यक्ष नंदू श्रीमंत्री ने मेड़ता प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की घोषणा की।

प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदू श्री मंत्री ने बताया कि मेड़ता प्रेस क्लब पंजीकृत संस्थान हे उनके चुनाव के बाद विधवत रूप से कार्यकारिणी की घोषणा की गई जिसमें वरिष्ठ संरक्षक सदस्य वीरेंद्र वर्मा,संपादक वृंद ज्योति,पुखराज टाक संपादक दैनिक ढ़ोलमारू, मौलाना मोइनुद्दीन संपादक आजाद भारत, समाचार प्लस के संदीप बोहरा , पूरण उपाध्यक्ष सम्पादक पुष्कर टुडे के सानिध्य वही सुनील पूरी को उपाध्यक्ष, मोहन मेहरिया को सचिव, एम टेलर को कोषाध्यक्ष,जुगल सिंह को सह सचिव, सी पी पुजारी को संगठन सचिव, प्रचारक लक्ष्मी नारायण वैष्णव, सह कोषाध्यक्ष मनीष सोनी के साथ विधि सलाहकार राम किशोर तिवाड़ी व सुशील दिवाकर को बनाया गया है।

अभियान शुरू

सरवाड़, (निसं)। वंदे गंगाजल संरक्षण एवं जल संचयन तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का शुभारंभ सूर्य तलाई पर तेजाजी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के साथ हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष उर्वशी जैन, भाजपा नेता शैलेन्द्र जैन व उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर आदि मौजूद रहे।

कार्यालय नगर परिषद, पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांक :नपपु /भूमि/2025/538 दिनांक-05/6/2025

उजरदारी सूचना

निम्न आवेदक ने अपनी वसीयत/क्रयशुदा/बख्शीशुदा सम्पति के नामान्तरण हेतु नगर परिषद पुष्कर में आवेदन किया है जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था इत्यादि को उक्त कार्यवाही में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विज्ञिप्ति प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर ठोस सबूत मय दस्तावेज के आधार पर नगर परिषद पुष्कर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं परिषद द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

कं.सं.	आवेदक नाम मय	स्थान	चतुर्थ सीमा	
1	श्री प्रवीण चौधरी पुत्र स्व. श्री मेघराज चौधरी	ईमली मौहल्ला छोटी बस्ती स्थित सम्पति क्षेत्रफल 218.55 वर्गगज	पूर्व- मकान श्री डांडी स्वामी पश्चिम-गली व मकान श्री नरपत जी का	उत्तर- मकान श्री माधव आचार्य का दक्षिण- मकान श्री लाल जी महाराज का

आयुक्त नगर परिषद पुष्कर

आम सूचना

यह की मेरी मुवक्किला श्रीमति नीतू एन.भंभानी पत्नी स्वर्गीय श्री निरंजन भंभानी, उम्र करीब 69 वर्ष, निवासी -522/34, श्रीनगर रोड, अजमेर की ओर से सूचित किया जाता है की भूखंड सं 9 व 10 जो की ग्राम नौसर रातीडांग, तहसील व जिला अजमेर के खाता सं 95 नया व 87 पुराना के खसरा सं 169 क्षेत्रफल 02-15-00 (दो बीघा पंद्रह बिसवा किस्म बारानी) का भाग होकर एवं जिनका क्रमश: क्षेत्रफल 355.55 वर्गगज व 302. 22 वर्गगज है भूखंड से 9 की चतुर्थ सीमाएं पूर्व- भूखंड संख्या-10, पश्चिम - रास्ता आम 30.0 फीट चौड़ा, उत्तर- निजी संपति अन्य की, दक्षिण रास्ता आम 30.0 फीट चौड़ा एवं भूखंड संख्या-10 की चतुर्थ सीमाएं-पूर्व भूखंड संख्या-11, पश्चिम-भूखंड सं 9. उत्तर-निजी संपति अन्य की, दक्षिण रास्ता आम 30.0 फीट चौड़ा है को मेरी पक्षकारा ने जरिये उप-पंजीयक, अजमेर-2 के यहा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 04/12/2007 के क्रमश: दोनों भूखंड क्रय किए थे एवं जिनकी आज दिनांक तक मेरी पक्षकारा ही एकमात्र स्वामी एवं काबिज है, अत: उक्त दोनों भूखंड बावत किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई खरीद फरोख्त या अन्य कोई संव्यवहार किया जाता है या करवाया जाता है तो वह मेरी पक्षकारा के हकों व अधिकारों के प्रति शून्य व निष्प्रभावी होगा व रहेगा, सो सूचित रहे।

-विनोद पंवार अधिवक्ता, 288, चर्च हाल के पास, क्रिश्चयन गंज, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 340 दिनांक : 05/06/2025

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2/206, पंचशील, अजमेर में श्री आसनदास मूलवानी पुत्र श्री श्रीचन्द मूलवानी को आवंटित कर दिनांक 11.08.2000 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री आसनदास मूलवानी पुत्र श्री श्रीचन्द मूलवानी द्वारा दिनांक 25.09.2000 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा आवास का पंजीयन करवा लिया गया है। श्री आसनदास मूलवानी पुत्र श्री श्रीचन्द मूलवानी ने आवास का बैचान श्री सुनील गिदवानी पुत्र श्री ओम प्रकाश गिदवानी को दिनांक 30.07.2020 को कर दिया गया। मण्डल द्वारा श्री सुनील गिदवानी पुत्र श्री ओम प्रकाश गिदवानी के पक्ष में दिनांक 26.10.2021 को नामान्तरण के आदेश जारी किये गये। पुन: श्री सुनील गिदवानी पुत्र श्री ओम प्रकाश गिदवानी द्वारा आवास का बैचान श्री मनोज सुन्दर दास गुरबानी पुत्र श्री सुन्दर दास को दिनांक 07.02.2023 को कर दिया गया है। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 2176 में पृष्ठ संख्या 150 क्रम संख्या 202303001101291 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 5699 के पृष्ठ संख्या 113 से 125 पर दिनांक 07.02.2023 को चस्पा किया गया। अब श्री मनोज सुन्दर दास गुरबानी पुत्र श्री ओम प्रकाश दास ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री मनोज सुन्दर दास गुरबानी पुत्र श्री सुन्दर दास का नाम मण्डल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक :न.पा.बि. /नामा/2025/1028 दिनांक-05/6/2025

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान व प्लाट गृहकर पंजिका में अन्तरण हेतु निम्न विरासत पत्रावली प्राप्त हुई है। अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

नामान्तरण

फाईल नं.	आवेदक नाम	मूल आवंटी/ नामान्तरण	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
62	गजेन्द्र दत्तक पुत्र आँकार सिंह कोठारी	पारस कंवर पत्नि माणक चंद जैन	न्यू लाईट कॉलोनी बरल द्वितीय ख.सं. 1077 1078,1078/1,2,3 भू.सं. का पश्चिमी हिस्सा व 29 का पूर्वी हिस्सा	72.22 SQ. MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू

अजमेर, (कासं)। गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर गुरुवार को वरुण सागर पर वन्दे गंगा जल संरक्षण महा अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर समाज में जनजागरूकता उत्पन्न करना तथा इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करना है।

कार्यक्रम की शुरुआत वरुण सागर घाट की स्वच्छता के लिए श्रमदान से हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कार्मिकों, स्वयंसेवी संगठनों एवं आम नागरिकों ने भाग लिया। इसके पश्चात् जल की महत्ता को रेखांकित करते हुए जल पूजन एवं कलश यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी, राजस्व मंडल के अध्यक्ष हेमंत गैरा एवं जिले की प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ की उपस्थिति में विधिवत रूप से जल पूजन किया गया तथा हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के माध्यम से यात्रा को सांस्कृतिक रंग प्रदान किया।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना द्वारा जल संरक्षण पर आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला के अंतर्गत जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण एवं पारंपरिक जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन पर विस्तार से चर्चा की । उन्होंने कहा कि वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत जल स्वावलंबन पखवाड़े में 5 से 20 जून तक जिले के 700 से अधिक ग्रामों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस अभियान में अनेक विभाग जैसे पंचायती राज, नरेगा, राजीविका आदि की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत निर्मित जल संरचनाओं का लोकार्पण किया जाएगा एवं पारंपरिक बावड़ियां, तालाबों आदि जल स्त्रोतों की पूजा एवं पुनर्जीवन का कार्य किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान पीपल पूजन, पौधारोपण एवं राजीविका प्रदर्शनी का अवलोकन भी अतिथियों द्वारा किया गया। राजिविका प्रदर्शनी में नागोला कलस्टर के द्वारा निर्मित फ्रूट सोप, हैण्ड वॉस, डीस वॉस, फिनायल, फैस वॉस, साबुन टब एवं जूट उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। इसी प्रकार दिलवाडा कलस्टर के द्वारा जूट बैग, पायदान, फैन्सी कवर, केरी बैग, सॉफिंग बैग, फ्रिज कवर, टेबल कवर, टेबल बैग, बॉटल बैग, टिफिन बैग, प्रिंटिंग आर्ट जैसी वस्तुएं उपलब्ध कराई गई।

इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, मुख्य वन संरक्षक ख्याति माथुर, नगर निगम आयुक्त देशल दान, प्रशिक्षु आईएएस डॉ. नेहा राजपूत, उप महापौर नीरज जैन, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, देहात अध्यक्ष श्री जीतमल प्रजापत, अतिरिक्त जिला कलैक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं ज्योति ककवानी आदि उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक :नपकि/नाम हस्तांतरण/2025/1155 दिनांक-05/6/2025

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 540 part 541 पर स्थित 'बीएलजी मयूरा सिटी' के आवासीय (भूखण्ड संख्या ए- 87 क्षेत्रफल 123.33 वर्गगज) पर मोनू कुमार शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व में- 30 चौड़ा रास्ता पश्चिम में- खसरा संख्या 530/1

उत्तर में- भूखण्ड संख्या ए-86 दक्षिण में- भूखण्ड संख्या ए-88

अत: उक्त उपविभाजन प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी, नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 297 दिनांक : 03/06/2025

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 4/97, पंचशील, अजमेर श्रीमती माया आहूजा पत्नि श्री बलराम को आवंटित कर दिनांक 22.03.1999 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्रीमती माया आहूजा पत्नि श्री बलराम द्वारा दिनांक 25.09.2000 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया था। पंजीयन पश्चात् श्रीमती माया आहूजा पत्नि श्री बलराम द्वारा मुख्त्यार आम श्रीमती शकुन्तला नवल पत्नि श्री यशवन्त राज नवल के पक्ष में दिनांक 17.05.2006 को निष्पादित किया गया। मुख्त्यार आम के आधार पर श्रीमती शकुन्तला नवल पत्नि श्री यशवन्त राज नवल द्वारा दिनांक 28.01.2009 को त्वयं के पक्ष में आवास का पंजीयन करवा लिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1665 में पृष्ठ संख्या 42 क्रम संख्या 2009000400 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3652 के पृष्ठ संख्या 366 से 376 पर दिनांक 28.01.2009 को चस्पा किया गया। अब श्रीमती शंकुन्तला नवल पत्नि श्री यशवन्त राज नवल ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रतुतुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती शकुन्तला नवल पत्नि श्री यशवन्त राज नवल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक :नपकि/SDRC/2025/1157 दिनांक-05/6/2025

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 26,28,35, 36, 41 पर स्थित 'खुशी मार्बल सिटी' के आवासीय (भूखण्ड संख्या सी-18 क्षेत्रफल 244.44 वर्गगज में से विखण्डित भूखण्ड क्षेत्रफल 122.22 वर्गगज) पर श्रीमती किस्मत कंवर पत्नि श्री यौधा सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर उपविभाजन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व में- 60 चौड़ा रास्ता पश्चिम में- भूखण्ड संख्या सी-55 व सी-56

उत्तर में- भूखण्ड संख्या सी-17 दक्षिण में- भूखण्ड संख्या सी-19

अत: उक्त उपविभाजन प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी, नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 298 दिनांक : 03/06/2025

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2-घ-12, घोलाभाटा, अजमेर में श्री अचिन कुमार बोस पुत्र श्री एस.सी. बोस को आवंटित कर दिनांक 19.12.1977 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री अचिन कुमार बोस पुत्र श्री एस.सी. बोस द्वारा दिनांक 30.07.1990 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया था। श्री अचिन कुमार बोस पुत्र श्री एस.सी. बोस की मृत्यु दिनांक 01.01.2011 को हो जाने के कारण उनकी पत्नि श्रीमती माला बोस पत्नि स्व0 श्री अचिन कुमार बोस द्वारा मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। मण्डल द्वारा श्रीमती माला बोस पत्नि स्व0 श्री अचिन कुमार बोस के पक्ष में मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण के आदेश दिनांक 02.09.2011 को जारी किये गये। श्रीमती माला बोस पत्नि स्व0 श्री अचिन कुमार बोस ने आवास का बैचान श्री अमृत पाल सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह को कर दिया गया। मण्डल द्वारा श्री अमृत पाल सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह के पक्ष में दिनांक 01.04.2015 को परस्पर विक्रय के पश्चात् नाम दर्ज के आदेश जारी किये गये। श्री अमृत पाल सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह ने आवास का बैचान श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री नाथू सिंह को दिनांक 18.05.2020 को कर दिया गया। मण्डल द्वारा दिनांक 05.09.2024 को श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री नाथू सिंह के पक्ष में नामान्तरण के आदेश जारी किये गये। पुन: श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री नाथू सिंह द्वारा आवास का बैचान श्रीमती अनिता बघेल पत्नि श्री धीरज कुमार बिलोनिया को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 947 में पृष्ठ संख्या 114 क्रम संख्या 202403002113745 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3787 के पृष्ठ संख्या 391 से 404 पर दिनांक 26.12.2024 को चस्पा किया गया। अब श्रीमती अनिता बघेल पत्नि श्री धीरज कुमार बिलोनिया ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती अनिता बघेल पत्नि श्री धीरज कुमार बिलोनिया का नाम मण्डल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

तनावग्रस्त अस्ति वसूली शाखा, तीसरी मंजिल, मेट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर-302004

फोन : 0141-2657811, ई-मेल : sbi.18184@sbi.co.in

परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8 (6)

अचल सम्पतियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन चल एवं अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधकशुदा है, का भौतिक कब्जा भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी), जयपुर (राज.), प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" और "दायित्व रहित" के आधार पर ऋणी **श्री विरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री संतलाल गुप्ता और श्रीमति शकुंतला गुप्ता पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार गुप्ता** से भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी), जयपुर (राज.), प्रतिभूत लेनदार की **रू. 25,63,942.00 (पच्चीस लाख तरेसठ हजार नो सो बयालीस रूपये मात्र) दिनांक 03.06.2025** तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे की वसूली हेतु दिनांक **24.06.2025** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम राशि निम्नतालिका अनुसार होगी। अग्रिम राशि बैंक / BAANKNET की वैब साइट पर दी गई प्रक्रिया अनुसार ई-नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कराई जा सकती है।

चल/अचल सम्पतियों का विवरण	1. आरक्षित मूल्य 2. धरोहर राशि	समय
अचल सम्पत्ति : श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता के नाम से आवासीय भूखण्ड संख्या सी-02 ऊपरी निर्माण सहित (शारदा एवरग्रीन पार्क सोसाइटी), आराजी नंबर 3176 जो कि राजस्व ग्राम, पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा मे स्थित हैं। (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 25'-0" * 40'-0" कुल 1000.00 वर्गफीट); सीमाए :- पूर्व में संख्या सी-01, पश्चिम में संख्या सी-03, उत्तर में संख्या सी-01, दक्षिण में सड़क 30 फीट। CERSAI चार्ज पंजीकरण आईडी 2000 1101 9365	1. रू.36.50 लाख 2. 3.65 लाख	11.00 A.M. से 03.30 P.M.

इच्छुक बोलीदाता BAANKNET के पास प्री-बिड ईएमडी की राशि ई-नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कर सकते हैं। BAANKNET के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वेबसाइट में ऐसी जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। इन कार्यवाहियों को अद्यतन / अपडेट होने में बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की किसी भी समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि पर्याप्त समय रहते जमा करें।

ऋण भार :- उपरोक्तानुसार के अलावा ज्ञात नहीं।

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी), जयपुर (राज.) प्रतिभूतलेनदार की वेबसाईट अर्थात् https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others एवं https://BAANKNET.COM देखें।

दिनांक : 03.06.2025, स्थान : जयपुर प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

टांक की नियुक्ति

बिजयनगर, (नि.सं.)। नगरपालिका बिजयनगर में एडवोकेट दिनेश कुमार टांक को विधि सलाहकार के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने पर नगरवासियों ने खुशी जताई। इस को लेकरे पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल बोहरा के प्रतिष्ठान पर दिनेश टांक का माल्यार्पण किया।

मुकेरी मोहल्ला में 20 किलो मांस जब्त

नसीराबाद, (निसं)। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के तहत 4 जून की रात्रि में सफाई निरीक्षक रवि प्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष निगरानी अभियान चलाया गया। इस दौरान मुकेरी मोहल्ला क्षेत्र में एक निजी आवास से अवैध रूप से मछली बेचते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया।

मौके से लगभग 20 किलोग्राम मछली बरामद की गई, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों की घोर अनदेखी करते हुए बिना किसी वैध अनुमति के घर से बेचा जा रहा था। बरामद मांस को जब्त कर परिषद कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा नष्ट करवा दिया गया।

यह गतिविधि न केवल खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि छावनी क्षेत्र की स्वच्छता, कानून व्यवस्था एवं जन स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा मानी जा रही है।

इस कार्रवाई में निरीक्षक रवि प्रकाश के साथ जमादार विजय, जमादार सतीश एवं सफाई कर्मचारी स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही। मुख्य अधिशासी अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी अवैध एवं अस्वास्थ्यकर गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने हेतु छावनी क्षेत्र में सघन निगरानी और औचक निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रखे जाएं। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की अर्जुनलाल सेठी नगर, ईडब्ल्यूएस योजना के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 584 क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर के आवंटी/अन्तरिति स्व. श्री शम्भु लाल सोलंकी पुत्र स्व. श्री सोहनलाल सोलंकी निवासी-म.नं. 584 अर्जुनलाल सेठी नगर, परवतपुरा, अजमेर की मृत्यु दिनांक 10.03.2018 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्